1608
022

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Signature... अशोक सिंह
ACC Name-Ashok Singh
ACC Code-UP14501104
Mob.-8874418470 L.No-28
Tahsil -Jakhanian,Ghazipur

Certificate No.	:	IN-UP48509203527856U
Certificate Issued Date	:	02-Jul-2022 10:15 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14501104/ JAKHNIA/ UP-GZP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14501104898060099154027U
Purchased by	:	BAL GOPAL TRUST BY TRUSTY HANSA DEVI
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	GATA 245 RAKBA 0.3200 HQ AND GATA 287 RAKBA 0.6990 HQ SMP MAUJA OJHIPUR PR S.BAD TEH-JKN DIST GZP
Consideration Price (Rs.)	:	1,80,000 (One Lakh Eighty Thousand only)
First Party	:	SUDAMI DEVI WO SUFER AND HANSA YADAV WO GOPI
Second Party	:	BAL GOPAL TRUST BY TRUSTY HANSA DEVI
Stamp Duty Paid By	:	BAL GOPAL TRUST BY TRUSTY HANSA DEVI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	4,000 (Four Thousand only)

Please write or type below this line

प्रमाणित

सुदामी
सुदामी देवी
स्त्री सुफेर
सा० ओझीपुर
प० शादियाबाद
जिला - गाजीपुर
विक्रमा राम

प्रमाणित

हंसा देवी
[redacted] यादव
स्त्री गोपी सिंह यादव
सा० मधुबन
प० शादियाबाद
जिला - गाजीपुर
विक्रमा राम

प्रमाणित

हंसा देवी
[redacted]
स्त्री गोपी सिंह यादव
सा० मधुबन
प० शादियाबाद
जिला - गाजीपुर
विक्रमा राम

PU 0004322807

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

लीज–डीड

अवधि / –	: 1 वर्ष के लाभान्स का 6 गुना स्टाम्प 4,000 / –
30 वर्ष	: 1,80,000 / –
सम्पत्ति	: एक किता भूखण्ड
वार्ड परगना	: तहसील–जखनिया
मुहल्ला / मौजा	: मौजा– ओझीपुर
सम्पत्ति का विवरण	: गाटा सं0 245 रकबा 0.3200 हे0 व गाटा सं0 287 रकवा 0.6990 हे0 योग 2 गाटा 1.019 हे0. में से 0.821 हे0 जिसके 8210 वर्गमीटर होता है।
चौहद्दी	: पूरब में– सुदामी देवी आदि पश्चिम में– गोविन्द यादव खातेदार उत्तर में– बेचन राजभर आदि दक्षिण में – बलिराम यादव
प्रथम पक्ष (लीज डीड दाता)	– श्रीमती सुदामी देवी पत्नि सुफेर सा0 ओझीपुर पोस्ट तिलेसड़ा परगना शदियाबाद तहसील जखनियां जिला गाजीपुर व हंसा यादव पत्नि गोपी सिंह यादव सा0 मधुबन पोस्ट मलिकपुरा परगना शदियाबाद तहसील जखनियां जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश ।
द्वितीय पक्ष (लीज डीड ग्रहीता)	– बाल गोपाल ट्रस्ट।, सा0 मधुबन पोस्ट मलिकपुरा परगना शदियाबाद तहसील जखनियां जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश । द्वारा ट्रस्टी– हंसा यादव पत्नि गोपी सिंह यादव सा0 मधुबन पोस्ट मलिकपुरा परगना शदियाबाद तहसील जखनियां जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश ।

सुदामी हंसा देवी हंसा देवी

जो कि प्रथम पक्ष एक किता आराजी वाकै मौजा ओझीपुर, तहसील जखनियां, जिला गाजीपुर का मालिक काबिज है। जो तमाम वारों से पाक व साफ है। जिसे मुकिर को हर तरह से मुन्तकिल करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। जोकि गाटा सं0 245 रकवा 0.3200 हे0 व गाटा सं0 287 रकवा 0.6990 हे0 योग 2 गाटा 1.019 हे0 में से 0.821 हे0 जिसके 8210 वर्गमीटर होता है।

का लीज–डीड प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य आज दिनांक 02.07.2022 ई0 से 01.07.2052 तक के लिये तकमील की जा रही है जिसके अवधि 30 वर्ष के लिये मान्य होगी।

1. यह कि 30 वर्ष का लाभान्स मु0 180000/–रू0 होगा जो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से सम्पूर्ण 30 वर्ष का लाभान्स प्रीमियम एक मुस्त मु0 180000/–रू0 उपरोक्त लाभान्स प्रथम पक्ष व संस्था के सभी सदस्यों को सहज स्वीकार है।

2. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा संस्था के सभी सदस्यों को बुलाकर यह बताया गया है कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि व भवन लीज डीड पर लेने के लिये तैयार है। आपसी सहमति के आधार पर सभी सदस्यो की सहमति से लीज निष्पादित की जा रही है उपरोक्त लीज के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य जो शर्तें हुई है उनको लिपिबद्ध किया जा रहा है। ताकि सनद रहे व समय पर काम आवे।

3. यह कि दोनो पक्ष संपत्ति हस्तानान्तरण एक्ट 1882 एवं संशोधन (Transfer of Property Act 1882 & Amendment) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006, एवं सभी संशोधन अथवा जो भी कानून/नियम राज्य व भारत सरकार द्वारा समय–समय पर लागू किये जायेगे उनमें लीज हेतु निहित सभी प्रावधनों का पालन करंगें ।

4. यह कि भारत के किसी न्यायालय में उपरोक्त भूमि के सन्दर्भ में कोई विधिक कार्यवाही लाम्बित नहीं है जो कि उक्त भूमि को लीज पर देने अथवा लने में बाधक हो।

5. यह कि ये लीज दिनांक 02–07–2022 दिन बुधवार से 30 वर्षो हेतु अपरिवर्तननीय है। 30 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरांत लीज स्वतः समाप्त हो जायेगी अथवा दोनो पक्ष आपसी सहमति के आधार पर लीज को आगे की अवधि के लिए पुनः स्थापित कर सकते है।

सुदर्शी हंसा देवी हंसा देवी

6. यह कि उक्त भूमि पर लीज की तिथि से पूर्व एवं लीज के दिनांक तक किसी सरकारी गैर सरकारी अथवा व्यक्तिसं वित्तिय देनदारियाँ शेष नहीं है। यह भूमि सभी प्रकार के भार एवं बाधा से मुक्त है पाक–साफ है।

7. यह कि द्वितीय पक्ष लीज ग्रीहता को इस भूमि को किसी अन्य पक्ष को लीज़ पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा।

8. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि पर उपलब्ध भवन का अथवा निर्माण कराकर शैक्षाणिक संस्थान, सम्बन्धित संस्थाओं से मान्यता/अनुमोदन/सम्बद्धता/पंजीकरण /लाइसेंस प्राप्त कर संचालन कर सकेगा।

9. यह कि, द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर शैक्षाणिक संस्थान के संचालन के क्रम में भवन निर्माण एवं शैक्षाणिक संस्थान संचालन हेतु सभी विधिक कार्यवाही हेतु, स्वतंत्र होगा।

10. यह कि लीज द्वितीय पक्ष की तिथि से एवं उसके बाद लीज की अवधि में उक्त सम्पत्ति से संबंधित सभी विधिक टैक्स/शुल्क जमा करने हेतु उत्तरदायी एवं बाध्य होगा।

11. यह कि प्रथम पक्ष की आवश्यकता यदि द्वितीय पक्ष को किसी भी विधित कार्य सरकारी एवं स्वानित के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत करने की पड़ती है तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के साथ उपस्थित होकर सम्पूर्ण सहयोग्य करेगा। एवं उपरोक्त कार्यवाही को पूर्ण करायेगा।

इस वास्ते प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को यह लीज डीड अपनी राजी खुशी व सही होश हवास में व खूब सोच समझकर पढ़ सुनकर कतई तहरीर कर दिया कि सनद रहे व समय पर काम आये। प्रक्षकारों के इच्छानुसार लेखक द्वारा पक्षकारों की फोटो प्रमाणित रूबरू गवाहान के कथनानुसार स्वयं प्रारूपकर्त्ता ने की है। उक्त प्रलेख के कम्प्यूटर प्रणाली लागू होने के कारण पक्षकारों के इच्छानुसार लेखक द्वारा प्रारूप तैयार कर कम्प्यूटर द्वारा टाइप कर तैयार किया गया है। विदित हो कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष व गवाहान के पहचान के रूप में आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न है।

..4

लेखक– विसर्जन सिंह यादव एडवोकेट, तहसील जखनियां तहरीर दिनांक 02–07–2022 ई0

पहचानकर्ता: 1

अंबिका यादव पुत्र राजपत यादव

निवासी– मुहम्मदपुर परगना शादियाबाद जिला गाजीपुर
आधार नं0 154455764512
व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता: 2

गवाह– संजय कुमार पुत्र सुफेर राम

निवासी– ओड़ीपुर, पोस्ट–तिलेसड़ा परगना शादियाबाद जिला गाजीपुर
आधार नं0 944656454545

व्यवसाय: कृषि

प्रमाणित

अम्बिका यादव
पुत्र राजपत यादव
सा० मुहम्मदपुर
परगना शादियाबाद
जिला गाजीपुर
विक्रमा राम
अम्बिका यादव

प्रमाणित

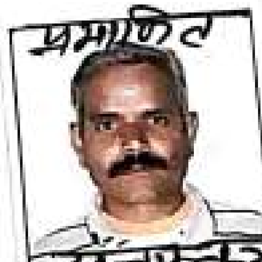

संजय कुमार
पुत्र सुफेर राम
सा० तिलिसड़ा
प० शादियाबाद
जिला गाजीपुर
विक्रमा राम
संजय कुमार